

दीपक उप्रेती

आई.ए.एस.

प्रमुख शासन सचिव



गृह, गृह रक्षा, कारागार, भ्र.नि.ब्यूरो,
एवं पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त,
राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय,
जयपुर-302005

अ0शा0 पत्रांक प0 6(18)गृह-13/2007

जयपुर, दिनांक :- 01.03.2017

प्रिय,

इस वर्ष अक्षय-तृतीया (आखातीज) का पर्व दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को है एवं उसके तुरन्त उपरान्त पीपल पूर्णिमा दिनांक 10 मई, 2017 का पर्व भी आने वाला है। इस अवसर पर बाल विवाहों के आयोजन की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अतः यह संभावित है कि इस दिन कुछ लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह के आयोजन के लिए तत्पर हों।

गत वर्षों की भांति बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों (वृत्ताधिकारी, थानाधिकारीगण, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षकों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्रामसेवकों, कृषि पर्यवेक्षकों, महिला अधिकार अभिकरणों एवं महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आगनबाडी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग के अध्यापकों, नगर परिषद एवं नगर पालिका के कर्मचारियों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों) के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आम जन को जानकारी कराते हुए जनजागृति उत्पन्न करने एवं बाल विवाह रोके जाने के लिए कार्यवाही की जाए।

बाल विवाह रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है इस संदर्भ में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जन सहभागिता व चेतना जागृत करने हेतु एक कार्ययोजना माह मार्च से ही बनाकर कार्य किया जाना उचित होगा। इसके लिए कुछ बिन्दु निम्न प्रकार हैं:-

1. जिला ब्लॉक व जिला स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आगनबाडी कार्यकर्ता, साथिन, सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय करना।
2. ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी हैं यथा हलवाई, बैण्ड बाजा, पंडित, बाराती, पण्डाल व टेन्ट लगाने वाले, ट्रासपोर्ट, इत्यादि पर बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लेना और उन्हें कानून की जानकारी देना।
3. निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन करना।
4. ग्राम सभाओं में सामुहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा करना व रोकथाम की कार्यवाही करना।
5. किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता जैसे - स्वास्थ्य विभाग, जन विभाग, कृषि, समाज कल्याण, प्रथमिक शिक्षा विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करना।
6. विवाह हेतु छपने वाले निमंत्रण पत्र में वर-वधु के आयु का प्रमाण प्रिन्टिंग प्रैस वालों के पास रहे अथवा निमंत्रण पत्र पर वर-वधु की जन्म तारीख प्रिन्ट किये जाने हेतु बल दिया जावे।
7. सार्वजनिक स्थानों पर सूचना-बॉक्स रखें जावे एवं इस हेतु नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जावे।

